न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:— 03 / 20017

प्रार्थीगण:—

1. महेन्द्रसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत
2. सुजानसिंह पुत्र भवसिंह जाति राजपूत
3. नरपतसिंह पुत्र भवसिंह जाति राजपूत
4. हकाराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल
5. दडकीदेवी पत्नी जोगाराम जाति मेघवाल
6. चडकीदेवी पत्नी जैसाराम जाति मेघवाल
7. देदाराम गोदपुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल
   निवासीगण वालीयाणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. मेहरसिंह पुत्र डुगरसिंह जाति राजपूत
2. मदनसिंह पुत्र डुगरसिंह जाति राजपूत
3. गंगासिंह पुत्र डुगरसिंह जाति राजपूत
4. हीरसिंह पुत्र डुगरसिंह जाति राजपूत
5. गणपतसिंह पुत्र डुगरसिंह जाति राजपूत
6. धन सिंह पुत्र डुगरसिंह जाति राजपूत
7. गाफ कंवर पत्नी डुगरसिंह जाति राजपूत
8. नाथुसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत
9. शैतानसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत
10. शभु सिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत
11. धापुकंवर पत्नी हुकमसिंह जाति राजपूत
12. देवाराम पुत्र सकाराम जाति सुथार
13. गांगी बेवा साकाराम जाति सुथार
14. पदमाराम पुत्र गणेशाराम जाति सुथार
15. मोहनराम पुत्र उदाराम जाति सुथार
16. मांगाराम पुत्र फगलुराम जाति मेघवाल
17. वंशाराम पुत्र चौथाराम जाति मेघवाल
18. सायरी बेवा सवाराम पुत्र चौथाराम जाति मेघवाल
19. मांगाराम पुत्र लिक्षमणाराम जाति देवासी
20. वगताराम पुत्र लिक्षमणाराम जाति देवासी
21. बोताराम पुत्र लिक्षमणाराम जाति देवासी
22. चुनीदेवी बेवा हडमानाराम जाति देवासी
23. सवाराम पुत्र रणछोडाराम जाति देवासी
24. तगु बेवा रणछोडाराम जाति देवासी
25. धुकाराम पुत्र जोगाराम जाति देवासी
26. आम्बुदेवी पत्नी भीखाराम जाति देवासी
27. वीजाराम पुत्र जोगराम जाति देवासी
28. जवानसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत
29. चतरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:50 IST
Reason: SelfAttested

30. स्व.मानाराम पुत्र हीराराम जाति रबारी
30/1 धुकाराम पुत्र स्व.मानाराम जाति रबारी
30/ 2 नैनाराम पुत्र स्व.मानाराम जाति रबारी
30/ 3 दीपाराम पुत्र स्व.मानाराम जाति रबारी
30/4 तुलछाराम पुत्र स्व.मानाराम जाति रबारी
30/5 अकाराम पुत्र स्व.मानाराम जाति रबारी
30/6 भदाराम पुत्र स्व.मानाराम जाति रबारी
31 देवाराम पुत्र उकारराम जाति भील
32 भटाराम पुत्र उकारराम जाति भील
33 राजूराम पुत्र मकाराम जाति भील
34 मोमताराम पुत्र मकाराम जाति भील
35 जोधराम पुत्र मालाराम जाति भील
36 हुकमाराम पुत्र मालाराम जाति भील
37 वाबुराम पुत्र भुराराम जाति भील
38 भारताराम पुत्र रामजीराम जाति भील
निवासीयान वालीयाणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
39 मैनेजर एसबीआई शाखा पादरू
40 मैनेजर एसबीआई (एडीबी) शाखा सिवाना
41 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :— 1. श्री श्री कैलाश पुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2,4,5,7

–: आदेश :– दिनांक :– 26.02.2021

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 329,330,336,339,340,341 रकबा क्रमशः 05.07,02.19,37.10,17.08,00.02, व 19.08 बीघा भूमि सरहद मौजा वालियाण पटवार मण्डल सिणेर तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिसकी बदिशा पूर्व सीमा से लगता विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 342,343,345,352,322,321,319,318 (के नये खसरा संख्या 444/318, 462/445,463/445,)358,299,302,303,292 के माठ से होते हुए आगे राजस्व कटाण सडक मार्ग जाता है। उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवागमन करते हैं इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते को मौके अनुसार गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1,3,6 व 8 ता 41 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई विप्रार्थी संख्या 2,4,5 व 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल श्रीमाली द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी संख्या 12 से 38 तक इकबाली जबाब

प्रस्तुत कर प्राथीगण द्वारा चाहे रास्ते प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की गई। भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट कमांक राजस्व/2020/34 दिनांक 20.01.2020 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया ।

हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हेतु प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुऐ निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण जवाब पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाये वरंग लाल अनुसार विप्रार्थीगण के रहवासीय ढाणी के पास होते हुए खसरा संख्या 336 मे प्रवेश कर सकते है। जिसे पर विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं गहराई से अध्ययन व मनन किया । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अध्ययन किया गया। तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका दिनांक 24.12.19 के अनुसार ग्राम वालियाणा पटवार मण्डल सिणेर के खेत खसरा संख्या 341, 339,, 336, 302, 303, 299, 358, 444/318, 462/445, 463/445, 319, 345, 321, 322 व 352 द्वारा मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता प्रदान करने हेतु सहमति जाहिर की गई। खसरा संख्या 292 की किस्म गै.मु.ओरण है तथा खसरा संख्या 482/445 समर्पण भूमि है। खसरा संख्या 292 की किस्म प्रतिबन्धित श्रेणी होने के कारण इसको छोडते हुये राजस्व ग्राम वालियाणा के खेत खसरा संख्या 342, 343, 345, 352,322,321,319,318 (के नये खसरा संख्या 444/318 ,462/445, 463/445,463/445) 358,299,302,303 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है।

विप्रार्थीगण संख्या 12 से 38 द्वारा बिना प्रतिफल रास्ते हेतु भूमि दिये जाने के कारण विप्रार्थी संख्या 12 से 38 तक इकबाली जवाब को रास्ते के रूप में समाविष्ट होने वाली भूमि के रकबे के बदले किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे की आदेश दिनांक को प्रचलित डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को, रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली उनकी खोतदारी भूमि खेत खसरा संख्या 342 व 343 की भूमि मे से रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली भूमि के कुल रकबे की क्षतिपूर्ति के रूप में ... होगी जो डीएलसी द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को ... के बराबर होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusum Lata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 11 को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

नये 13 फीट (2 गट्ठा) चौडाई के रास्ता मे समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख मे गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज होगी।

प्रार्थीगण के इस प्रकार नये 2 गट्ठा भूमि को रास्ते के रूप में मौका फर्द दिनांक 24.12.20219 के संलग्न मौका नक्शा दर्शाए बरंग लाल खसरा संख्या 292 को छोडते हुए का उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार अर्जित नहीं होगे। रास्ते के रूप से समाविष्ट भूमि का रकबा सम्बन्धित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा मौका फर्द दिनांक 19.09.2019 के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का भाग होगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नजरी नक्शा अनुसार नये 2 गट्ठा भूमि चौडाई खसरा संख्या 292 की किस्म प्रतिबन्धित श्रेणी होने के कारण इसको छोडते हुये राजस्व ग्राम वालियाणा के खेत खसरा संख्या 342, 343, 345, 352,322,321,319,318 (के नये खसरा संख्या 444/318 ,462/445, 463/445,463/445) 358,299,302,303 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में समाविष्ट होने वाली 2 गट्ठा चौडाई में रास्ते की भूमि का प्रतिफल के रूप में विप्रार्थी संख्या 6 व 8 ता 19 को अदायगी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2020/34 दिनांक 20.01.2020 प्रेषित मौका फर्द दिनांक 24.12.19 के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:50 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)